



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 15786/05/2023/चयन

इन्दौर, दिनांक - 5 FEB 2025

पदनाम – खाद्य विश्लेषक

चयन – सूची (मुख्य भाग – 87 प्रतिशत)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 15/2022 दिनांक 30.12.2022 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में म0प्र0 शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विज्ञापित पद – खाद्य विश्लेषक के कुल – 04 पद (अनारक्षित-02, अ.जा. –निरंक, अ.ज.जा.-01, अ.पि.वर्ग-01, ई.डब्ल्यू.एस.-निरंक) इनमें से महिलाओं हेतु (आरक्षित पद – अनारक्षित-01) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 20.01.2025 को आयोजित किए गए।

2/ म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चूंकि उक्त विज्ञापित पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित पद की संख्या 01 होने के कारण इस पद हेतु 87 एवं 13 प्रतिशत पदों के विभाजन की आवश्यकता विभाग द्वारा नहीं दर्शाई गई है। अतएव चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत मुख्य भाग हेतु विज्ञापित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या 01 होने के कारण प्रावधिक भाग-13 प्रतिशत हेतु रिक्तियों की संख्या निरंक होने के परिणामस्वरूप पृथक से प्रावधिक भाग का चयन परिणाम जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3/ अतएव साक्षात्कार में प्राप्तियों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

खाद्य विश्लेषक (म0प्र0 शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग – 87 प्रतिशत)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	2	0	1	1	0	4
इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद	1	0	0	0	0	

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	16631	KUMAR MANORANJAN	M	UNR	UNR
2	16611	DEEPIKA GARG	F	UNRF	UNR

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	16583	ARCHANA GAUTAM	F	UNR
2	16636	UMESH KUMAR	M	प्रावधिक UNR

टीप :-

1. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हों। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया जाना प्रावधानित है।
2. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक भोपाल, दिनांक 10.02.1997 की कंडिका 05 के परिपालन में घोषित की गई चयन सूची में पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों को संबंधित प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्रावधान प्रावधानित है।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4. कुल विज्ञापित 04 पदों में से अ.ज.जा. वर्ग हेतु आरक्षित - 01 एवं अ.पि.वर्ग हेतु आरक्षित - 01 पद के लिए योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण यह पद रिक्त रहे हैं।
5. घोषित चयन परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक एस.एल.पी. 12398/2023 एवं एस.एल.पी. 8764/2023 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।

(प्रबल सिपाहा)

सचिव

म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर